कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार
विश्वविद्यालय
काठाडीह, रायपुर 492013 (छत्तीसगढ़)

क्रमांक 1638/केटीयू/छात्रवृत्ति–शाखा/18 रायपुर, दिनांक 22/12/2018

//सूचना//

विषयान्तर्गत कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) रायपुर छ.ग. के पत्र क्रमांक/2160/आदि.वि./ऑ.ला.पो.मै.छा./2018–19 रायपुर दिनांक 21/12/2018 के अनुक्रम में विश्वविद्यालय अध्ययनशाला में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण की पात्रता है। शिक्षा सत्र 2018–19 हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही tribal.cg.gov.in/scholarship वेबसाइट पर ऑनलाईन की जा रही है।

जिसके अंतर्गत विद्यार्थियो के पंजीयन एवं संस्थाओं को प्रस्ताव/स्वीकृति लॉक करने हेतु विभागों द्वारा वर्ष 2018–19 में निम्नानुसार अंतिम तिथि निर्धारित की गई है–

क.	प्रकिया	अंतिम तिथि
1	विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु (नवीन एवं नवीनीकरण)	दिनांक 20.12.2018 से 15.01.2019
2	Draft Proposal Lock करने हेतु	दिनांक 20.12.2018 से 25.01.2019
3	Sanction Order Lock करने हेतु	दिनांक 20.12.2018 से 30.01.2019
4	संस्थाओं द्वारा KYC जमा करने हेतु	दिनांक 10.02.2019 तक

निर्धारित तिथियों के पश्चात शिक्षा सत्र 2018–19 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन स्वीकृत नहीं किये जावेगे एवं draft proposal अथवा Sanction Order Lock करने का अवसर भी प्रदान नही किया जावेगा। उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नही करने पर यदि संबंधित विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगें।

नोटः पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति वर्ग के जिन विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में National Scholarship Portal (scholarship.gov.in) पर आवेदन किया जा चुका है उन्हे भी पुनः विभाग की वेबसाईट (tribal.cg.gov.in/scholarship) पर आवेदन करना अनिवार्य है। उनको केवल इसी पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदान की जावेगी।

साथ ही छात्रवृत्ति के पात्र विद्यार्थी आनलाईन आवेदन की हार्ड कापी विभागाध्यक्ष से अग्रेषित कराकर निम्न संलग्नों के साथ छात्रवृत्ति शाखा में कार्यालयीन समय में जमा करें–

1. मूल निवास प्रमाण पत्र।
2. जाति प्रमाण पत्र।
3. नायाब तहसील दार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र।
4. आय के संबंध में पिता/पालक का (श्रीमान नोटरी द्वारा प्रमाणित) शपथ पत्र।
5. शुल्क रसीद की छायाप्रति।

क्रमश.. अगले पृष्ठ पर

Scanned by CamScanner

6. बैक पास बुक की प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति–जिसमें खाता नम्बर, आईएफएस कोड की प्रविष्टि हो।
7. 10वी,12वी एवं स्नातक की अंकसूची की छायाप्रति।
8. यदि गेप है तो गेप सर्टिफिकेट (श्रीमान नोटरी द्वारा प्रमाणित)।

A. Tiwari
22-12-18

(डॉ. अतुल कुमार तिवारी)
कुलसचिव

पृ. क्रमांक 1639/केटीयू/वाहन–शाखा/18 रायपुर, दिनांक 22/12/2018

प्रतिलिपि –
1. निज सहायक, मान. कुलपति महोदय को सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अध्ययनशाला कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेशार्थ एवं सूचनार्थ।
3. समस्त सूचना फलक प्रशासनिक भवन, एवं विश्वविद्यालय अध्ययनशाला के संकाय भवन कमांक 01 एवं 02 के समस्त सूचना फलक हेतु

A. Tiwari
कुलसचिव

Scanned by CamScanner